न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बरकत खां बनाम राज्य सरकार राज. गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 प्रकरण संख्या: GCMS No. 2025/65	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.05.2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीपक्ष अधिवक्ता श्री सत्तार मेहर उपस्थित। संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी बरकत खां पुत्र नेने खां निवासी सुन्दर बालाजी कॉलोनी, गली नं.–8, चौपासनी, जोधपुर (राज.) की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए, राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 व पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत जब्तसुदा वाहन को रिलीज किये जाने हेतु पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर (GCMS No. 2025/65) किया गया। अप्रार्थी थानाधिकारी बासनी से तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्रांक 1941 दिनांक 01.05.2025 से प्राप्त हुई। प्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि प्रार्थी बरकत खां का वाहन TATA ACE रजिस्ट्रेशन संख्या– RJ19-GJ-4768 पुलिस थाना बासनी द्वारा राजस्थान गोवंशीय अधिनियम 1995 व पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1995 में जब्त किया गया। उक्त वाहन का बरकत खां पुत्र नेने खां पंजीकृत स्वामी है। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 6 ए के तहत जब्तसुदा वाहन का निस्तारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाना है। बहस में आगे प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त वाहन रिलीज करने की इस्तदुआ की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया तथा राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 व राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम 2018 का अध्ययन भी किया। धारा 6ए प्रवहण के साधन का अधिहरण का प्रावधान दिया गया तथा इसके लिए सक्षम प्राधिकारी (जिले का कलक्टर) प्राधिकृत है। धारा 6 ए (2) के अनुसार अयुक्तियुक्त विलम्ब के बिना अभिगृहित करने वाले व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, का प्रावधान है, पुलिस थाना बासनी द्वारा पालना नही की गई। धारा 6ए (2) के तृतीय परन्तुग में अधिहरण का आदेश करने के पूर्व, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के साधन के स्वामी को अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय का विकल्प दिया जाने का प्रावधान है। लगातार........................	

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)

थानाधिकारी बासनी की पुलिस रिपोर्ट (पत्रांक 1941 दिनांक 01.05.2025) के अनुसार दिनांक 09.03.2025 को प्रकरण संख्या 72 में जुर्म धारा 5, 6, 8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 व 11(1)(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। दौराने अनुसंधान घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द हालात मौका व नक्सा मौका मूर्तिब किया गया व घटनास्थल की विडियोग्राफी की गई। आस–पडौसी स्वतंत्र गवाहान से अनुसंधान कर बयान धारा 180 बीएनएसएस के तहत लिये जाकर सामिल पत्रावली किये गये। आरोपीगण को वक्त घटना 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया था जिसके इस्तगासा की प्रति एचएम अपराध से प्राप्त कर संलग्न पत्रावली की गई। तथाकथित आरोपीगण 1. सद्दाम खान पुत्र मोईनुद्दीन 2.लब्बैक पुत्र कमरूद्दीन 3.बरकत खान पुत्र नैने खां 4.विष्णु पुत्र किसनलाल से पूछताछ नोट पृथक से मूर्तिब कर सामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण हाजा की घटना में गाय के बछड़ियों व बछड़ों को परिवहन करने में प्रयुक्त वाहन TATA ACE रजिस्ट्रेशन संख्या– RJ19-GJ-4768 को बरकत खां ने पेश की जिसके जरिये फर्द पेशकर्ता के प्राप्त कर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस ली जाकर थाना परिसर में सुरक्षार्थ खडी करवाई गई। प्रकरण हाजा में सम्पूर्ण अनुसंधानख बयान स्वतंत्र गवाहान, पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों से आरोपीगण विष्णु, सद्दाम खान, लब्बैक व बरकत खां के विरूद्ध जुर्म 5,6,8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 का प्रमाणित नही पाया गया है। आरोपीगण द्वारा एक छोटी सी लोडिंग टेक्सी में 8 बछड़े–बछडियां ठूस–ठूस कर भरकर परिवहन करना जुर्म धारा 11(1)(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 का ताईद में आना पाया गया है जो असंज्ञेय धारा 11(1)(घ) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960) में प्राप्त कर एफ.आर. कृता की गई। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन TATA ACE रजिस्ट्रेशन संख्या– RJ19-GJ-4768 की प्रकरण में अनुसंधान में आवश्यकता नही है। उक्त वाहन को नियमानुसार रिलीज किया जावे तो कोई आपत्ति नहीं है।

अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थी बरकत खां का जब्तसुदा वाहन सं. TATA ACE रजिस्ट्रेशन संख्या– RJ19-GJ-4768 अधिहरण योग्य है तथा धारा 6ए (2) के तृतीय परन्तुग में उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रवहण के साधन के स्वामी को अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय का विकल्प दिया जाने का प्रावधान है, की पालना में वाहन स्वामी के जब्तसुदा वाहन TATA ACE रजिस्ट्रेशन संख्या– RJ19-GJ-4768 को जब्तसुदा वाहनों के वर्तमान बाजार मूल्य का जमानतनामा व उसी मूल्य का सुपुर्दगीनामा पेश करने पर निम्नशर्तो के अधीन वाहन स्वामी को वाहन लौटाने के आदेश दिया जाता है:–

1– उक्त वाहन न्यायालय में चल रहे प्रकरण का निस्तारण होने न होने तक बेचान नही किया जायेगा।

लगातार..............

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर (राज.)

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)

2—न्यायालय द्वारा तलब करने पर न्यायालय में पेश करना होगा।
3— वाहन में किसी प्रकार से बदलाव नही करेंगे।

थानाधिकारी बासनी को आदेशित किया जाता है कि वे वाहन स्वामी/प्रार्थी द्वारा उनके समक्ष उक्त आदेश की पालना में जब्तसुदा TATA ACE रजिस्ट्रेशन संख्या— RJ19-GJ-4768 के वर्तमान बाजार मूल्य का जमानतनामा व उसी मूल्य का सुपुर्दगीनामा पेश करने पर उक्त वाहन के मूल दस्तावेजों का मिलान करने के उपरांत उक्त वाहन को वाहन स्वामी को लौटा/सुपुर्द कर दिया जाय।

आदेश आज दिनांक 08.05.2025 को सुनाया गया व हस्ताक्षरित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर (राज.)

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर, जोधपुर

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)